



मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 62/2025

अमर सिंह पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी पडितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—वादी

बनाम

- 1- नत्थूराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी पडितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 2- हनुमान पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी पडितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 3- ईमरती देवी पुत्री नत्थूराम पत्नी महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी सुन्दरपुरा कोठी, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
- 4- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 5- शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता विभाजन डिक्री

दिनांक :- 15/09/2025

वादी की ओर से श्री हनुमान भादू अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार व राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 53 के अन्तर्गत वाद डिक्री किया जाता है कि :-

क-वादी अमरसिंह को प्राप्त कृषि भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 40 एनडीआर के खाता सं. 26/20 के प.नं. 80/350 (18) किला नं. 17/0.2022, किला नं. 17 मे पश्चिम दिशा मे उतर से दक्षिण, 18/1/0.126, 23/1/0.076 (किला नं. 24 के चिपती), 24/0.253 इस खाता की कुल की 0.6572 है0 व खाता सं. 25/10 के प.नं. 80/350 (18) किला नं. 6/0.012 है0 किला न. 6 की पूर्व दिशा मे उतर से दक्षिण, किला न. 15/0.0133 किला न. 15 में पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण, 18/0.127. 19/1/0.126, 20/1/0.102, की 0.3803 है0 इस प्राकर कुल 1.0375 है0

ख. प्रतिवादी सं. 1 नत्थूराम को प्राप्त कृषि भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 40 एनडीआर के खाता सं. 25/10 के प.नं. 80/350 (18) किला नं. 6/0.241, 7, 14, 15/0.2397 की 0.9867 है0 व खाता सं. 26/20 के प.नं. 80/350 (18) किला नं. 17/0.0508 है0, किला न0 17 मे पूर्व दिशा मे उतर से दक्षिण इस प्राकर कुल 1.0375 है0।

ग. प्रतिवादी सं. 2 हनुमान को प्राप्त कृषि भूमि -

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसील पीलीबंगा के चक 40 एनडीआर के खाता सं. 26/20 के प.नं. 80/350 (18) किला नं. 8, 9, 10, 11, 23/0.0255 है0 इस प्रकार कुल 1.0375 है0।

घ. प्रतिवादी स. 3 ईमरती देवी को प्राप्त कृषी भूमि-

तहसील पीलीबंगा के चक 40 एनडीआर के खाता सं. 26/20 के प.नं. 80/350 (18) किला नं. 12, 13, 23/0.0255, 25 की 0.7845 है0 व खाता सं. 25/10 के प. न. 80/350 (18) किला नं. 16 की 0.253 है0 इस प्रकार कुल 1.0375 है0।

उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण सख्या 1 से 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/ गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 15/09/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल ^{आर.ए.एस.})
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

